मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

विषय :–सहायक यंत्री (सिविल) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर दिनांक 05.05.2012 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 26.10.2013 का कार्यवाही विवरण।

——::0::——

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :–

1.	प्रो.एन.के. तनेजा सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	श्री एन.के.परिहार मुख्य कार्मिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम–11 के प्रावधान अनुसार)

सहायक यंत्री (सिविल) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.05.2012 को आयोजित की गई थी।

2. श्री विमल किशोर स्वामी, सहायक यंत्री (वरि.क्र. 1574) के नाम पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.05.2012 को समिति द्वारा विचार किया। वर्ष 2010 का गोपनीय

31.10.13 31/10/13 31.10.13

प्रतिवेदन संसूचित होने एवं विभागीय जांच प्रकरण के कारण समिति ने श्री स्वामी को कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त (unfit) की अनुशंसा की गई।

3. श्री विमल किशोर स्वामी, सहायक यंत्री (सिविल) द्वारा कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने के विरूद्ध मान.उच्च न्यायालय,जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 9609/2010 दायर की। मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर ने दिनांक 19.07.2013 को निम्न निर्णय पारित किया :–

The writ petition is allowed with a direction to the respondents to consider the case of the petitioner in terms of the norms prescribed by the Departmental Promotion Committee meeting dated 5-5-2012 ignoring the Annnal Confidential Report of the petitioner for the year 2009-2010 and reassess the case of the petitioner whether he is fit for promotion on the post of Executive Engineer of the department or not by holding a review Department Promotion Committee with in a period of three months from the date of receipt of certified copy of the order passed today. In case the petitioner is found fit for promotion on reassessment of his Annual Confidential Reports by the review Departmental Promotion Committee, the appropriate order of promotion be issued in respect of petitioner with the aforesaid period. Needless to say. In case the petitioner is found fit for promotion, he would be entitiled to all the benefit of such promotion such as pay, allowances and seniority of the promotion post.

The writ petition is allowed to the extent indicated herein above. There shall be no order as to costs.

4. मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका क्र. 9609/2012 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2013 के पालन में सहायक यंत्री (सिविल) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाक 05.05.2012 को सम्पन्न डी.पी.सी. के परिप्रेक्ष्य में दि. 26.10.2013 को रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित की गई।

5. दिनांक 05.05.2012 को सहायक यंत्री (सिविल) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न बैठक में अपनाये गये मापदण्डों के आधार पर मान. न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री स्वामी के वर्ष 2010 के गोपनीय प्रतिवेदन को ignore करते हुए कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु विचार किया गया।

31.10.13 31/10/13 31.10.13

6. श्री विमल किशोर स्वामी को मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, सिवनी के आदेश क्रमांक सी.एफ 358/एक्स/स्था/गो/98 दिनांक 9.1.2010 द्वारा रू0 1,49,679/– की वसूली एवं एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया। विभाग में अभियंताओं की वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड 1 जुलाई 2010 से प्रभावशील होता है। पदोन्नति के लिए विचाराधीन अवधि में श्री स्वामी के विरूद्ध दण्ड प्रभावशील होने से श्री स्वामी को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त (unfit) पाया गया।

(प्रो.एन.के.तनेजा)	(राधेश्याम जुलानिया)	(एम.जी.चौबे)	(एन.के परिहार)
सदस्य	प्रमुख सचिव	प्रमुख अभियंता	मुख्य कार्मिक अधिकारी,
लोक सेवा आयोग	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग	कार्यालय प्रमुख अभियंता,
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	जल संसाधन विभाग
			सदस्य